हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

षष्टम् सत्र

<u>समाचार भाग-1</u>

संख्याः 46

वीरवार, 29 अगस्त, 2024/7 भाद्रपद, 1946(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी की अध्यक्षता में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

1. प्रश्नोत्तर

(I) तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्नः 1411 (स्थगित) के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा मुख्य मंत्री द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्नः 1499 (स्थगित) के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा राजस्व मंत्री(प्राधिकृत) द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 1774 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा राजस्व मंत्री(प्राधिकृत) द्वारा उत्तर दिए गए। **इसी संबंध में माननीय मुख्य मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर से असंतुष्टि व्यक्त करते हुए विपक्ष के सदस्यगण उत्तर के बीच में ही अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे।** तारांकित प्रश्न संख्याः 1775 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा मुख्य मंत्री द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 1776 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा गया। तारांकित प्रश्न संख्याः 1777 के

उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उप-मुख्य मंत्री द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 1778 पर सदस्य की अनुपस्थिति के कारण अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा गया। तारांकित प्रश्न संख्याः 1779 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा मुख्य मंत्री द्वारा उत्तर दिए गए। **माननीय मुख्य मंत्री के उत्तर से असंतुष्टि व्यक्त करते हुए विपक्ष के सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे व कुछ क्षण उपरान्त सदन से बहिर्गमन कर गए। श्री सुख राम चौधरी व डॉ0 जनक राज सदन में उपस्थित रहे।** तारांकित प्रश्न संख्याः 1780 से 1825 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(II) अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्याः 672, 693 (स्थगित) तथा 786 से 814 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

माननीय मुख्य मंत्री ने विपक्ष द्वारा किए गए बहिर्गमन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि विपक्ष के सदस्यगण विषयों के प्रति गंभीर नहीं है और सदन से बाहर केवल राजनीतिक रोटियां सेकने गए हैं।

2. कागज़ात सभा पटल पर

श्री जगत सिंह नेगी, राजस्व मन्त्री ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम सीमित का 52वाँ वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2021-22 (विलम्ब के कारणों सहित); और

(ii) हिमाचल प्रदेश कृषि, बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 (1987 का अधिनियम संख्या 4) की धारा 45 (4) के अन्तर्गत डा0 वाई0 एस0 परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, सोलन का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 (विलम्ब के कारणों सहित)।

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन

श्री नन्द लाल, सभापति, कल्याण समिति (वर्ष 2024-25) ने समिति का 24वाँ कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि समिति के द्वितीय मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) (वर्ष 2022-23) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत्त कार्रवाई पर आधारित तथा मांग संख्याः 31-जनजातीय विकास विभाग की वित्तीय वर्ष 2023-24 की अनुदान मांगों की संवीक्षा से सम्बन्धित है, की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

4. विधान सभा कार्य-सलाहकार समिति का प्रतिवेदन

श्री संजय रत्न, सदस्य ने कार्य-सलाहकार समिति का सप्तम् प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) सभा में उपस्थापित किया तथा स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भी किया।

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

मानानीय मुख्य मंत्री द्वारा सदन को सूचना

माननीय मुख्य मंत्री ने हिन्दुस्तान टाइम्ज समाचार पत्र के प्रमुख संवाददाता श्री गौरव बिष्ट, टाइम्ज ऑफ इंडिया के वरिष्ठ सहायक संपादक श्री आनन्द बोध व अमर उजाला के वरिष्ठ संवाददाता श्री विपिन काला जी के निधन पर गहरा शोक प्रकट करते हुए पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके योगदान को याद किया एवं उन्हें पूरे सदन की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की।

6. सांविधिक इकाइयों हेतु मनोनयन

(1) **डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री ने** निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया -

"That in pursuance to the provisions contained in Section 26 and 27 of the Surrogacy (Regulation) Act, 2021, the members

of the Himachal Pradesh Legislative Assembly do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, three women members from amongst themselves to be nominated as Ex-officio Members of the State Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board."

प्रस्ताव स्वीकार।

(2) **श्री जगत सिंह नेगी, राजस्व मंत्री(प्राधिकृत) ने** निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया:-

"हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अधिनियम 1968 की धारा 4(1) की उप-धारा 11(एच) के प्रावधान के अन्तर्गत, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के तीन सदस्यों को हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, में तीन वर्ष की अवधि के लिए जिस दिन से अधिसूचना जारी हो तथा हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अधिनियम के प्रावधान के अन्तर्गत मनोनीत करने के लिए यह सदन माननीय अध्यक्ष महोदय को प्राधिकृत करता है।"

प्रस्ताव स्वीकार।

मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

माननीय मुख्य मंत्री ने सदन को प्रदेश की खराब आर्थिक स्थिति को उद्धृत करते हुए मंत्रिमंडल के सदस्यों, कैबिनेट रैंक के चेयरमैन, मुख्य संसदीय सचिवों सहित अपने वेतन और भत्ते दो माह तक विलंबित करने बारे अवगत करवाया। उन्होंने माननीय सदस्यों से भी आग्रह किया कि वे भी स्वेच्छा से इस दिशा में अपना योगदान दें।

6. पारित संकल्प पर कृत्त कार्रवाई

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री ने "दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 को श्री सुख राम चौधरी व श्री कुलदीप सिंह राठौर, सदस्य द्वारा नियम-101 के अन्तर्गत गैर-सरकारी सदस्य दिवस पर प्रस्तुत संकल्प जोकि सर्वसम्मति से सदन द्वारा पारित किया गया था, पर नियम-116 के अन्तर्गत सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से सदन को अवगत करवाया।

(12.20 बजे अपराह्न विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन में वापिस लौटे)।

7. गैर-सरकारी सदस्य कार्य

(I) **डॉ0 जनक राज तथा श्री सुख राम चौधरी** ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया एवं चर्चा की -

> **"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि जलवायु परिर्वतन के मध्यनजर वन महोत्सव के माध्यम से पौधरोपण तथा कार्बन क्रेडिट पर यह सदन नीति बनाने पर विचार करे।"**

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लिया -

1. डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिल, माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री
2. श्री विपिन सिंह परमार

(1.05 बजे अपराह्न सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 02.05 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई।)

(भोजनावकाश के उपरान्त 2.10 बजे अपराह्न सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

आगे चर्चा जारी -

3. कैप्टन रणजीत सिंह
4. डॉ0 हंस राज
5. श्री सुदर्शन सिंह बबलू
6. श्री जीत राम कटवाल

7. श्री केवल सिंह पठानिया
8. श्री बलबीर सिंह वर्मा

माननीय सदस्य द्वारा चर्चा के दौरान सुझाव देने पर कि पेड़ों के कटान हेतु प्रयोग किए जाने वाले आरे के लाइसेंस तथा जंगल का कुछ हिस्सा यदि फलदार या अन्य किस्म के पौधे लगाने हेतु किसी उद्योगपति, विधायक या अन्य किसी व्यक्ति को लीज पर दे दिया जाए तो प्लांटेशन में वृद्धि होगी; माननीय मुख्य मंत्री ने माननीय सदस्य के सुझाव का स्वागत करते हुए इन सुझावों पर विचार-विमर्श करने का आश्वासन दिया।

9. श्री अजय सोलंकी
10. श्री सतपाल सिंह सत्ती

माननीय मुख्य मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प वापिस हुआ।

(ii) **श्री जीत राम कटवाल** ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया एवं चर्चा कीः-

> **"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व व वन भूमि पर बने घरों और गौशालाओं के नियमितीकरण करने हेतु नीति बनाने पर विचार करे।"**

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया -

1. श्री नन्द लाल

(04.15 बजे अपराह्न श्री संजय रत्न सभापति पदासीन हुए।)

2. श्री सतपाल सिंह सत्ती
3. श्री नीरज नैय्यर
4. श्री सुख राम चौधरी
5. श्री हरदीप सिंह बावा

(4.45 बजे अपराह्न अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

6. डॉ0 हंस राज
7. कुमारी अनुराधा राणा

संकल्प पर जारी चर्चा अगले गैर सरकारी कार्य दिवस के लिए स्थगित की गई।

05.00 बजे अपराह्न सदन की बैठक शुक्रवार, 30 अगस्त, 2024 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई।